

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 689 / 2011 / बांसवाडा
मैसर्स वैदवान ग्रेनाइट प्रा.लि.
बांसवाडा

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-बांसवाडा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री राकेश मेहता
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 28.5.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 84/वैट/रेस्टो/10-11 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 55 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.04.2009 के द्वारा आरोपित कर रू. 22,687/-, शास्ति रू. 47,394/- एवं ब्याज रू. 7944/- कुल रू. 78,035/- की मांग सृजित की गई थी, को यथावत रखा गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी कम्पनी का वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश पूर्व में दिनांक 25.08.2008 को अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत स्व कर निर्धारण योजना में प्रस्तुत वैट-10 तिमाही रिटर्न व ट्रेडिंग अकाउण्ट के आधार पर पारित किया गया था। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, मकराना ने अपने पत्रांक 824 दिनांक 18.03.2009 से अपीलार्थी व्यवसायी कम्पनी द्वारा मैसर्स स्नो व्हाईट मार्बल हेण्डीक्राफ्ट, मकराना (टन 08640351389) को विक्रय किये गये मार्बल रू. 5,67,432/- का सत्यापन चाहा गया। उक्त सत्यापन बाबत लेखा पुस्तकें, क्रय विक्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर व अन्य रेकार्ड चाहा गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ ही साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त वर्ष के सम्बन्धित कोई रेकार्ड मुझे नहीं दिया गया मात्र जवाब दिया गया जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों के आधार पर रेकार्ड की जांच पर पाया कि आलोच्य वर्ष में कुल बिक्री रू. 6,37,186/- की है जिसमें रू. 5,67,342/- की बिक्री प्रथम तिमाही की है, जो प्रथम

2

तिमाही रिटर्न में नहीं बताकर चतुर्थ तिमाही रिटर्न में बतायी गयी है,जिसको अस्वीकार कर उन्होंने कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.04.2009 के द्वारा कर रू. 22,687/- , शास्ति रू. 47,394/- एवं ब्याज रू. 7944/-आरोपित करते हुए कुल रू. 78,035/-की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने सृजित मांग की पुष्टि करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2011 से असन्तुष्ट हाकिम अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना वैधानिक क्षेत्राधिकार के धारा 25, 26,55 एवं 61 के अन्तर्गत आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये घोषित बिक्री रू. 5,67,432/-को अघोषित बिक्री मानते हुए उस पर कर रू. 22,687/-,शास्ति रू. 47,394/- एवं ब्याज रू. 7944/-कुल रू. 78,035/-की मांग सृजित की, जो अविधिक है। उनका कथन है कि प्रथम तिमाही बिक्री बताने से रह गई थी,जिसे चतुर्थ तिमाही में बता दिया गया था, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम तिमाही की बिक्री को घोषित बिक्री नहीं मानकर अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुनः करारोपण किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है,जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।


प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006-07 के प्रस्तुत ट्रेडिंग एकाउण्ट में कुल विक्रय रू. 6,63,678/-का मार्क स्लेब की करना घोषित किया है जबकि प्रथम तिमाही में उपरोक्त वर्णित बिलों की बिक्री मार्बल स्लेब की है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, मकराना ने अपने पत्रांक 824 दिनांक 18.03.2009



से अपीलार्थी व्यवसायी कम्पनी द्वारा मैसर्स स्नो व्हाइट मार्बल हेण्डीक्राफ्ट, मकराना (टन 08640351389) को विक्रय किये गये मार्बल रू. 5,67,432/- का सत्यापन चाहा गया। उक्त सत्यापन बाबत लेखा पुस्तकें, क्रय विक्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर व अन्य रेकार्ड चाहा गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ ही साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त वर्ष के सम्बन्धित कोई रेकार्ड मुझे नहीं दिया गया मात्र जवाब दिया गया जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में आलोच्य वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष में रू. 6,37,186/- की बिक्री करना घोषित किया है किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-07 के ट्रेडिंग अकाउण्ट में कुल बिक्री रू. 6,63,678/- करना घोषित किया है जिसमें मार्बल बलक की बिक्री शून्य है। रेकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि घोषित बिक्री मार्बल स्लेब की थी, जैसा कि मैसर्स बैदवान ग्रेनाइट्स कप्रा. लि. बांसवाडा के बिल नम्बर 1 दिनांक 01.04.2006 एवं बिल नम्बर 2, 3, 4 एवं 5 दिनांक 02.04.2006 में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दोहरा करारोपण नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मार्बल क्लॉक की बिक्री रू. 5,67,432/- का सत्यापन नहीं करवाने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर कर रू. 22,687/-, शास्ति रू. 47,394/- एवं ब्याज रू. 7944/- आरोपित किया गया है, जिसमें कोई अविधिकता नजर नहीं आती है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो उचित है। फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य